

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग—3)



क्रमांक एफ 12(14)ग्रावि / नरेगा / विकास अधिकारी / 2011

जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

९ MAR 2011

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 2 (1) आरडी/आरई/नरेगा/06 दिनांक 02.04.2009 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिन पंचायत समितियों में विकास अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है उन पंचायत समितियों में विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी नरेगा एवं पंचायत समिति में कार्यरत लेखा कार्मिक को चैक पर संयुक्त हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया गया था तथा जिन पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं है उनमें जिला कलक्टर द्वारा नामित ब्लॉक कॉर्डिनेटर यथा उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर /तहसीलदारों को चैक जारी करने का उत्तरदायित्व दिया गया था।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 02.04.09 में आंशिक संशोधन करते हुये चैक जारी करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर/तहसीलदारों के स्थान पर विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी एवं पंचायत समिति के वरिष्ठतम लेखाकार को उत्तरदायी बनाया जाता है।

१३०८४३।।
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, मा० मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (प्रथम/द्वितीय) जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस।
9. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ईजीएस।
10. निजी सहायक, परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
11. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस।
12. लेखा शाखा।
13. रक्षित पत्रावली।

← →
अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस